Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 155: Recovery through land revenue authority

Where an amount is to be recovered in accordance with the provisions of clause (e) of sub-section (1) of section 79, the proper officer shall send a certificate to the Collector or Deputy Commissioner of the district or any other officer authorised in this behalf in **FORM GST DRC-18** to recover from the person concerned, the amount specified in the certificate as if it were an arrear of land revenue.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 155 : भू—राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से वसूली जहां किसी रकम की धारा 79 उपधारा (1) के खण्ड (ड.) के उपबंधों के अनुसार वसूली की जानी है, वहां उचित अधिकारी जिले के कलेक्टर या उपायुक्त को या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-18 में इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को एक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र में, विनिर्दिष्ट रकम की संबंधित व्यक्ति से वसूली के लिए भेजेगा, जैसे कि यह भू-राजस्व की बकाया रकम थी।